करेंट अफेयर्स 13 अगस्त 2022

विद्युत अधिनियम 2003

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर -3 (बुनियादी ढांचा)

संदर्भ: ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने हाल ही में संसद में **ईलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) विधेयक 2022** पेश करने के सरकार के इरादे के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है।

2003 के बिजली अधिनियम में संशोधन करने वाले इस विधेयक का उद्देश्य बिजली वितरण के लिए प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही लाना है, जो बिजली क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी है।

बिजली अधिनियम 2003 के बारे में

पृष्ठभूमि:

- बिजली **संविधान की समवर्ती सूची (केंद्र और राज्यों को कानून बनाने के समान अधिकार हैं) पर है।**
- विद्युत अधिनियम 2003 से पहले, **विभिन्न राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बिजली का उत्पादन, वितरण और संचरण किया जाता था।**
- राजनीतिक-आर्थिक स्थिति के कारण, क्रॉस-सब्सिडी एक अस्थिर स्तर पर पहुंच गई।
- राज्य सरकारों को टैरिफ निर्धारण से अलग करने के लिए **1998 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम लागू किया गया था।**
- निजी क्षेत्र की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बिजली क्षेत्र में और सुधार करने के लिए 2003 में विद्युत अधिनियम लागू किया गया था।

अधिनियम के बारे में:

- यह भारत में बिजली क्षेत्र को बदलने के लिए अधिनियमित संसद का एक अधिनियम है।
- अधिनियम का उद्देश्य उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और बिजली के उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करना और उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
- विद्युत मंत्रालय विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य:

- सभी उपयोगकर्ताओं को बिजली की आपूर्ति और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना।
- विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना।
- सब्सिडी के संबंध में नीतियों में पारदर्शिता।

ज् **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विनियामक आयोगों** द्वारा गठित कुशल और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना और अपीलीय अधिकरण की स्थापना।

संघ द्वारा उठाई गई चिंताएं

- इससे पहले, केंद्र ने सूचित किया था कि विधेयक को तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमुख हितधारकों के साथ प्रावधानों पर चर्चा नहीं की जाती है। तथापि, इन यूनियनों से परामर्श नहीं किया गया था।
- क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने के प्रावधान किसानों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएंगे।
- चूंकि बिजली संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए विधेयक अपने वर्तमान रूप में राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करता है और उपयोगिताओं को नुकसान पहुंचाता है।
- इसे आगे के परामर्श के लिए मंत्रालय की स्थायी समिति को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर -2 (निर्णय और मामले, मौलिक अधिकार)

संदर्भ: हाल ही में, आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 अप्रैल 2022 में संसद द्वारा पारित होने के बाद लागू हुआ है।

यह **कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920**, एक औपनिवेशिक युग कानून की जगह लेता है, और पुलिस अधिकारियों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार किए गए या मुकदमे का सामना करने वाले लोगों की माप लेने के लिए अधिकृत करता है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के बारे में

- यह **पुलिस को दोषियों के साथ-साथ अपराधों के आरोपियों के भौतिक और जैविक नमूने लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है।**
- **दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 53 या धारा 53 ए के अनुसार पुलिस डेटा एकत्र कर सकती है।**
- **डेटा जो एकत्र किया जा सकता है:** फिंगर-इंप्रेशन, पाम-प्रिंट इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, हस्ताक्षर, लिखावट, या किसी भी अन्य परीक्षा सहित व्यवहार संबंधी विशेषताएं
- आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में सीआरपीसी प्राथमिक कानून है।
- किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या जेल के अधिकारी को "माप" प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)** किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ भंडारण, संरक्षण, साझा करेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर माप के रिकॉर्ड को नष्ट करेगा। रिकॉर्ड को 75 साल की अवधि तक संग्रहीत किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य अपराध में शामिल लोगों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना और जांच एजेंसियों को मामलों को हल करने में मदद करना है।

पिछले अधिनियम को बदलने की आवश्यकता है

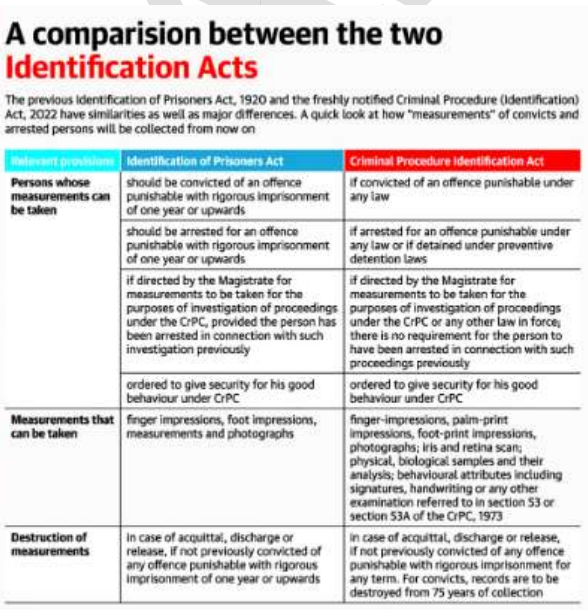

A comparision between the two Identification Acts

The previous Identification of Prisoners Act, 1920 and the freshly notified Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 have similarities as well as major differences. A quick look at how "measurements" of convicts and arrested persons will be collected from now on

Relevant provisions	Identification of Prisoners Act	Criminal Procedure Identification Act
Persons whose measurements can be taken	should be convicted of an offence punishable with rigorous imprisonment of one year or upwards	if convicted of an offence punishable under any law
	should be arrested for an offence punishable with rigorous imprisonment of one year or upwards	if arrested for an offence punishable under any law or if detained under preventive detention laws
	if directed by the Magistrate for measurements to be taken for the purposes of investigation of proceedings under the CrPC, provided the person has been arrested in connection with such investigation previously	if directed by the Magistrate for measurements to be taken for the purposes of investigation of proceedings under the CrPC or any other law in force; there is no requirement for the person to have been arrested in connection with such proceedings previously
	ordered to give security for his good behaviour under CrPC	ordered to give security for his good behaviour under CrPC
Measurements that can be taken	finger impressions, foot impressions, measurements and photographs	finger-impressions, palm-print impressions, foot-print impressions, photographs; iris and retina scan; physical, biological samples and their analysis; behavioural attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the CrPC, 1973
Destruction of measurements	in case of acquittal, discharge or release, if not previously convicted of any offence punishable with rigorous imprisonment of one year or upwards	in case of acquittal, discharge or release, if not previously convicted of any offence punishable with rigorous imprisonment for any term. For convicts, records are to be destroyed from 75 years of collection

- 1980 में, **भारत के विधि आयोग की 87 वीं रिपोर्ट** ने इस कानून की समीक्षा की और कई संशोधनों की सिफारिश की।
- यह **यूपी राज्य बनाम राम बाबू मिश्रा मामले की** पृष्ठभूमि में किया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में संशोधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था।
- सिफारिशों के पहले सेट ने **"ताड़ के छापों," "हस्ताक्षर या लेखन का नमूना" और "आवाज का नमूना"** शामिल करने के लिए माप के दायरे का विस्तार करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता को निर्धारित किया।
- सिफारिशों के दूसरे सेट ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उन लोगों के अलावा अन्य कार्यवाही के लिए माप लेने की अनुमति देने की आवश्यकता को उठाया।
- विधि आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संशोधन की आवश्यकता कई राज्यों द्वारा अधिनियम में किए गए कई संशोधनों से परिलक्षित होती है।
- यह महसूस किया गया कि फोरेंसिक में प्रगति के साथ, **अधिक प्रकार के "माप" को पहचानने की आवश्यकता है जिसका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के लिए किया जा सकता है।**

अधिनियम का महत्व

आधुनिक तकनीकें:

- अधिनियम उपयुक्त शरीर माप को पकड़ने और रिकॉर्ड करने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रावधान करता है।
- मौजूदा कानून ने दोषी व्यक्तियों की एक सीमित श्रेणी के केवल फिंगरप्रिंट और पदचिह्न इंप्रेशन लेने की अनुमति दी।

निवेश एजेंसियों की मदद करें:

- यह 'उन व्यक्तियों के दायरे' का विस्तार करना चाहता है जिनके माप लिए जा सकते हैं क्योंकि इससे जांच एजेंसियों को पर्याप्त कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत इकट्ठा करने और आरोपी व्यक्ति के अपराध को स्थापित करने में मदद मिलेगी।

जांच को और अधिक कुशल बनाना:

- यह उन व्यक्तियों के उचित शरीर माप लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है जिन्हें इस तरह के माप देने की आवश्यकता होती है और अपराध की जांच को अधिक कुशल और त्वरित बना देगा और सजा दर को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

कानून के साथ मुद्दे

गोपनीयता का उल्लंघन:

- तकनीकी रूप से, विधायी प्रस्ताव न केवल अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों बल्कि हर आम भारतीय नागरिक की निजता के अधिकार को कमजोर करता है।
- इसमें राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में लगे प्रदर्शनकारियों से भी नमूने एकत्र करने का प्रावधान है।

अस्पष्ट प्रावधान:

- 1920 के कैदियों की पहचान अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए, प्रस्तावित कानून अपने दायरे और पहुंच का विस्तार करता है।
- वाक्यांश 'जैविक नमूने' को आगे वर्णित नहीं किया गया है, इसलिए, इसमें रक्त और बालों के ड्राइंग, डीएनए नमूनों के संग्रह जैसे शारीरिक आक्रमण शामिल हो सकते हैं।
- ये ऐसे कार्य हैं जिनके लिए वर्तमान में मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 20 का उल्लंघन:

- नमूनों के जबरदस्त ड्राइंग को सक्षम बनाता है और इसमें अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन शामिल है, जो आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार की रक्षा करता है।
- विधेयक जैविक जानकारी के संग्रह में बल का निहित उपयोग, नार्को विश्लेषण और मस्तिष्क मानचित्रण के लिए भी नेतृत्व कर सकता है।

डेटा हैंडलिंग:

- रिकॉर्ड को 75 वर्षों तक संरक्षित किया जाएगा, अन्य चिंताओं में शामिल हैं कि एकत्र किए गए डेटा को कैसे संरक्षित, साझा, प्रसारित और नष्ट किया जाएगा।
- संग्रह के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर निगरानी भी हो सकती है, इस कानून के तहत डेटाबेस को अन्य डेटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ जोड़ा जा रहा है।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) एक गैर-योजना योजना के अनुभव के प्रकाश में कल्पना की गई एक योजना योजना है- सामान्य एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग (सीआईपीए)।

बंदियों के बीच अनभिज्ञता:

- यद्यपि यह प्रदान करता है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति (एक महिला या बच्चे के खिलाफ अपराध का आरोपी नहीं) नमूने लेने से इनकार कर सकता है, सभी बंदियों को यह नहीं पता हो सकता है कि वे वास्तव में जैविक नमूनों को लेने से इनकार कर सकते हैं।
- और पुलिस के लिए इस तरह के इनकार को अनदेखा करना और बाद में दावा करना आसान हो सकता है कि उन्हें बंदी की सहमति मिली थी।

प्रारंभिक परीक्षा मुख्य तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस

- **स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए हर साल 12 जनवरी को** राष्ट्रीय युवा दिवस (एनवाईडी) आयोजित किया जाता है।
- 1999 में, संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया।
- 1984 में, भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके बाद से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
- यह दिन **उन युवाओं को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जो हमारे देश के भविष्य हैं** और स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए जिन्होंने हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित किया और देश के विकास में युवाओं के सही उपयोग के बारे में बात की।
- थीम 2022: **यह सब दिमाग में है।**

स्माइल-75 पहल

- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने "स्माइल -75 पहल" शुरू की है।

- **स्माइल (आजीविका और उद्यम योजना के लिए हाशिए के व्यक्तियों के लिए सहायता)** का उद्देश्य **शहरों/कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मांगने से मुक्त बनाना और भीख मांगने** के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास करना है।
- इस पहल के तहत, **गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से पचहत्तर (75) नगर निगम उन व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को कवर करेंगे** जो भीख मांगने के कार्य में लगे हुए हैं।
- **किए गए उपाय पुनर्वास**, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आथक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों आदि के साथ अभिसरण।
- **2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4 लाख से अधिक है।**
- **पश्चिम बंगाल चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार हैं।**
- **कानूनी स्थिति:** हालांकि भीख मांगने पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, कुछ राज्यों ने **बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959** को अपनाया है, जो भिक्षावृत्ति को दंडित करता है।

ट्रांस-हिमालयन नेटवर्क

- **चीन और नेपाल तथाकथित ट्रांस-हिमालयन बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण के लिए सहमत हुए हैं।**
- **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत नेटवर्क में रेलवे और संचार नेटवर्क का निर्माण** शामिल होगा।
- अन्य नेटवर्क: **बीसीआईएम आर्थिक गलियारे का उद्देश्य कोलकाता को म्यांमार और बांग्लादेश के माध्यम से युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से जोड़ना है।**
- यह एक संपन्न आर्थिक बेल्ट के गठन की परिकल्पना करता है, जो सीमा पार परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करता है।

तितली मेरा

- यूके के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के अपने खुफिया आकलन में, **डोनेट्स्क और क्रैमाटोर्स्क में रूसी सेना द्वारा पीएफएम -1 श्रृंखला 'तितली खानों' के संभावित उपयोग पर अलार्म बजाया है और सुनाया है।**
- इन खानों में सैन्य और स्थानीय नागरिक आबादी दोनों के बीच व्यापक हताहतों को भड़काने की क्षमता है।
- पीएफएम -1 का उपयोग सोवियत-अफगान युद्ध में विनाशकारी प्रभाव के लिए किया गया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर उच्च संख्या में बच्चों को अपंग कर दिया था जो "उन्हें खिलौने के लिए गलत समझते थे।
- पीएफएम -1 और पीएफएम -1 एस दो प्रकार के **एंटी-कार्मिक बारूदी सुरंगें हैं जिन्हें** आमतौर पर **'तितली खानों' या 'ग्रीन तोते' के** रूप में जाना जाता है। ये नाम खानों के आकार और रंग से व्युत्पन्न होते हैं।
- पीएफएम -1 और पीएफएम -1 एस खदान के बीच मुख्य अंतर यह है कि उत्तरार्द्ध एक आत्म-विनाश तंत्र के साथ आता है जो एक से 40 घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है।
- यह **स्पर्श करने के लिए** बेहद संवेदनशील है और बस इसे उठाने का कार्य इसे बंद कर सकता है। इस छोटी सी खान में पैक किए गए कम विस्फोटक के कारण, यह अक्सर उन्हें मारने के बजाय हैंडलर को घायल और अपंग कर देता है। इन खदानों **का पता लगाना भी मुश्किल है क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी होती हैं और मेटल डिटेक्टर से बच सकती हैं।**
- इन खानों को कई माध्यमों से कार्रवाई के क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है, जिसमें हेलीकॉप्टरों से या तोपखाने और मोर्टार के गोले का उपयोग करके बैलिस्टिक फैलाव के माध्यम से गिरादिया जाना शामिल है।